



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND  
CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional  
Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB093/2021-CHA

दिनांक: July, 2022

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,  
पंचकुला, हरियाणा |

**विषय: Diversion of 0.8085 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, TS Divn., HVPNL, Rewari for construction of 220 KV D/C Transmission Line from existing 220x 400 KV D/C Sub Station Dhanonda to 220 KV Sub Station Deroli Ahir passing through various strips of forests, under forest division and District Mahendergarh, Haryana**

**सन्दर्भ: i). प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन/9866/823 दिनांक 20.06.2022.**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.8085 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव पर दिनांक 30.03.2022 को मांगी गई जानकारी की अनुपालना प्रति के अनुसार सीए योजना से 50 लाख चैन लिक फेंसिंग चार्जिस हटा लिए गए हैं, परन्तु, सीए योजना पूर्ण रूप से युक्तिसंगत नहीं है। अतः standard Plantation Schemes approved for different locations/Eco-climatic zones by the State Government की प्रति शीघ्र भेजी जावे।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)  
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Mahendergarh, Haryana. (dfomgrh@yahoo.co.in)
2. The Executive Engineer, TS Division, District-Rewari.(sdehvpncnst@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh

Date: 07-07-2022 19:46:45

Reason: Approved